

कार्यालय जिलाधिकारी गोण्डा।
(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 661 / खनिज अनुभाग-2025-26

दिनांक: 20/01/2026

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण हेतु सूचना (प्रेस विज्ञापित)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद गोण्डा में नदी तल में उपलब्ध सा10 बालू के उपलब्ध क्षेत्रों को उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 व शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 2168/86-2019-57 (सामा0)/2017 दिनांक 09.10.2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के अध्याय 4 के अन्तर्गत दीर्घकालीन अवधि (05वर्ष) हेतु तहसील तरबगंज के ग्राम दुर्गागंज, माझाराठ व सोनौली मोहम्मदपुर के खनन क्षेत्र को पुनर्भरण अध्ययन आख्या के पश्चात् परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु रिक्त घोषित किया जाता है:-

क्षेत्र का विवरण :-

क्र0 सं0	उप खनिज का नाम	नदी का नाम	क्षेत्र का विवरण				नियमावली - 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार रायल्टी दर (रु0 प्रति घनमीटर)	खनन योग्य आंकलित उपखनिज का भण्डार (घन मी0 प्रतिवर्ष)	प्रथम वर्ष में आंकलित भण्डार की कुल रायल्टी रूपयों में। (कालम 9 में अंकित घन मी0 प्रतिवर्ष को कालम 8 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल घनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम 10 में अंकित सकल घनराशि का 25 प्रतिशत)
			तहसील	ग्राम	गाटा सं0 / खण्ड सं0 / जोन सं0	क्षेत्रफल (हे0 में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	सा10 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	दुर्गागंज	2769मि.	24.000	65.00	1,87,200	1,21,68,000	30,42,000
02	सा10 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	माझाराठ	676	14.590	65.00	1,31,310	85,35,150	21,33,788
03	सा10 बालू	घाघरा नदी	तरबगंज	सोनौली मोहम्मदपुर	6191क्ष	6.000	65.00	1,08,000	70,20,000	17,55,000

क्षेत्र का जियोकोर्डिनेट्स

ग्राम का नाम	Name of Pillars	Latitude	Longitude
1. दुर्गागंज	A	N 26° 48' 48.06"	E-82° 11' 23.03"
	B	N 26° 48' 39.20"	E-82° 11' 22.70"
	C	N 26° 48' 38.60"	E-82° 10' 51.10"
	D	N 26° 48' 47.70"	E-82° 10' 51.50"
2. माझाराठ	A	N 26° 48' 59.63"	E-82° 7' 19.47"
	B	N 26° 48' 56.19"	E-82° 7' 38.50"
	C	N 26° 48' 59.12"	E-82° 7' 46.73"
	D	N 26° 49' 3.39"	E-82° 7' 47.81"
	E	N 26° 49' 5.30"	E-82° 7' 25.79"
3. सोनौली मोहम्मदपुर	A	N 26° 53' 34.93"	E-81° 46' 43.68"
	B	N 26° 53' 32.20"	E-81° 46' 40.03"
	C	N 26° 53' 21.82"	E-81° 46' 55.01"
	D	N 26° 53' 20.56"	E-81° 46' 50.83"

- खनन पट्टा अवधि 05 वर्ष के लिये स्वीकृत किये जायेंगे। पट्टे की अवधि की गणना खनन पट्टा विलेख निष्पादन की तिथि से की जायेगी।
- ई निविदा सह ई नीलामी की बिड/बोली उपखनिज की प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी, जो उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में निर्धारित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। इससे भिन्न बिड/बोली दिये जाने पर बिड/बोली स्वीकार नहीं की जायेगी तथा प्री बिड अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी। प्राप्त उच्चतम बिड/बोली की दर (रूपया प्रति घन मी0) को क्षेत्र में आंकलित

- मात्रा (घन मी0) से गुणा कर प्रथम वर्ष की नीलामी की देय धनराशि आगणित की जायेगी, जिसे पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।
3. ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में होगी। प्रथम चरण में ई निविदा सम्पन्न की जायेगी जिसके दौरान सभी बिडर्स को एक बार ई-निविदा (e-tender) देने का मौका प्रदत्त होगा जो पुनरीक्षित (Revise) नहीं किया जा सकेगा। ई निविदा में प्राप्त उच्चतम निविदा को आधार मूल्य (Floor Price) मानते हुये द्वितीय चरण में ई-नीलामी कराया जायेगा, जिसके दौरान बिडर्स ई-नीलामी हेतु निर्धारित तिथि एवं अवधि में ई-बिड दे सकता है। ई-नीलामी के दौरान केवल उच्चतम बोली को ही प्रदर्शित किया जायेगा जिसको देखते हुये बिडर अपना बिड पुनरीक्षित कर बढ़ा सकते हैं।
 4. किसी क्षेत्र के ई निविदा सह ई नीलामी हेतु बिडर्स को बिड में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा, जिसकी गणना क्षेत्र में वार्षिक आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा।
 5. एम0एस0 टी0सी0 लि0 (भारत सरकार का उपक्रम) को सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है, जिसके द्वारा राज्य सरकार की ओर से नीलामी की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा परिहार पर देने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आनलाईन एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल www.mstcecommerce.com पर की जायेगी।
 6. इच्छुक आवेदको के लिये आनलाईन बिड/बोली हेतु Class III Signing type डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है। एम0 एस0 टी0 सी0 के उपरोक्त पोर्टल पर जाकर अर्ह आवेदक अपने पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात ही ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग ले सकेंगे। ई-निविदा सह ई-नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान डी0एस0सी0 की वैधता बनाये रखने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
 7. पंजीकृत आवेदक निर्धारित पोर्टल पर आनलाईन अधिकतम 02 क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिये बिड में भाग ले सकेगा परन्तु उसे प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग अलग आवेदन शुल्क एवं प्रत्येक क्षेत्र हेतु निर्धारित अर्नेस्ट मनी एम0एस0टी0सी0 लि0 के पोर्टल पर प्रदर्शित प्रक्रिया के अनुसार एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा। किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में पूर्व से 02 क्षेत्र या कुल 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक के खनन पट्टे धारित होने पर वह बिड में भाग नहीं ले सकेगा। इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये सरकार के पक्ष में रू0 15,000/- (रू0 पन्द्रह हजार) का आवेदन शुल्क एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।
 8. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को एम0एस0टी0सी0 में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पंजीकरण हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई-ऑक्शन पोर्टल www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध आनलाईन फार्म भरना पड़ेगा जिसके दौरान बिडर्स अपने लिये स्वयं जनित यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड बनायेंगे। इस आनलाईन पंजीयन के उपरान्त बिडर्स को एम0एस0टी0सी0 द्वारा भेजा गया सूचना ई मेल प्राप्त होगा, जिसके पश्चात बिडर्स को आवश्यक अभिलेख स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 को आनलाईन भेजना अनिवार्य होगा। साथ ही बिडर्स को वार्षिक पंजीकरण शुल्क जी0एस0टी0 सहित रू0 2,360/- (रू0 दो हजार तीन सौ साठ मात्र) एम0एस0टी0सी0 पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से आनलाईन देय होगा। अनिवार्य अभिलेख एवं वार्षिक पंजीकरण शुल्क की प्राप्ति के पश्चात ही बिडर्स का लॉगिन आई0डी0 पासवर्ड एवं एकाउन्ट एम0एस0टी0सी0लि0 के निर्धारित पोर्टल पर चालू (Activate) होगा। पूर्व में पंजीकरण बिडर्स, जिनके पंजीकरण की अवधि वैध है, उन्हें पंजीकरण शुल्क देना नहीं होगा। परन्तु नये नियमों के अनुसार उनके द्वारा आवश्यक अभिलेख यथा हैसियत प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही उनका पंजीकरण चालू (Activate) होगा।
 9. पंजीकरण हेतु बिडर्स द्वारा स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पर स्कैन कर एम0एस0टी0सी0 के पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा :-
 (1) आवेदक के आधार कार्ड की प्रति, फर्म की दशा में फर्म के भागीदारों के आधार कार्ड की प्रति तथा कम्पनी के मामलों में कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक का Director Identification Number (DIN) के प्रमाण-पत्र की प्रति।

- (2) आवेदक का अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म के मामले में भागीदारों के अद्यावधिक चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति तथा कम्पनी के मामले में प्रबन्ध निदेशक का इस आशय का शपथ पत्र की कम्पनी को किसी अपराधिक वाद में दण्डित नहीं किया गया है। चरित्र प्रमाण पत्र उस जिले के जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त होगा, जहां आवेदक स्थायी रूप से निवास करता है।
 - (3) आवेदक का पैन कार्ड की प्रति, फर्म या कम्पनी के मामले में उसका पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 नं0 की प्रति।
 - (4) बैंक खाते का विवरण, जिससे ई निविदा सह ई नीलामी से सम्बन्धित समस्त वित्तीय हस्तान्तरण किया जायेगा, यथा बैंक का नाम, खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड, तथा एक निरस्त चेक की प्रति।
 - (5) जिलाधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहां आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नहीं करता है वहां इस आशय का शपथ पत्र की प्रति।
 - (6) आवेदक को स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, प्रस्तुत किया जाये।
10. एम0एस0टी0सी0 द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय की वेबसाइट से वसूली प्रमाण पत्र एवं ब्लैक लिस्ट की सूची से मिलान करने के उपरान्त केवल उन्ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का पंजीकरण किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत अर्ह हो। नियम-26 के अनुसार निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं :-
- (1) जो भारतीय राष्ट्रिक नहीं है।
 - (2) जिसके विरुद्ध खनिज देय बकाया है।
 - (3) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर लिया है। शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो।
 - (4) जिसने अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।
 - (5) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।
 - (6) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैनकार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।
 - (7) आवेदक को स्वयं का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि से 25 प्रतिशत से कम न हो, प्रस्तुत किया जायेगा।
11. ऑनलाईन ई-निविदा डालने तथा ई-नीलामी बोलने की विधि का पूर्ण विवरण सेवा प्रदाता संस्था एम0एस0टी0सी0 के वेब पोर्टल www.mstcecommerce.com पर देखा जा सकता है।
12. ई-निविदा सह ई-नीलामी में भाग लेने के लिये इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को प्रत्येक क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक रू0-15000(रू0 पन्द्रह हजार मात्र) का शुल्क जो अप्रतिदेय होगा तथा अर्नेस्ट मनी जो विज्ञप्ति में क्षेत्र के नाम सम्मुख अंकित हो, जमा किया जाना होगा।
13. सफल बोलीदाता/निविदादाता को छोड़कर शेष बोलीदाता/निविदादाता द्वारा जमा बयानों की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) यथावत उसी बैंक खाते में वापस कर दी जायेगी। आवेदक द्वारा पंजीकरण के समय दिये गये बैंक खाते में बदलाव मान्य नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अनुमोदन उपरान्त बैंक खाते का बदलाव किया जा सकता है।
14. जहां किसी भी कारण से ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया पूरी न हो वहां कम से कम 07 दिन की अल्प अवधि की नोटिस देने के पश्चात पुनः ई-निविदा सह ई-नीलामी की जा सकती है।
15. अधिकतम दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक क्षेत्र को उ0प्र0 राज्य की किसी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो अन्त में स्वीकृत खनन पट्टा निरस्त कर पट्टा अन्तर्गत जमा सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी, तथा केवल प्रारम्भ के दो क्षेत्र अथवा 50हे0 के खनन पट्टे ही अनुमन्य होंगे। परन्तु यदि स्वयं अपने पक्ष में दो खनन पट्टे या 50 हे0 से अधिक के खनन पट्टे हेतु जारी लेटर ऑफ इन्टेण्ट की सूचना देता है तो

उक्त सीमा के अन्तर्गत कोई भी खनन पट्टा क्षेत्र के चयन का उसे अधिकार होगा तथा शेष क्षेत्र की जमा धनराशि पुष्टि के उपरान्त यथावत वापस कर दी जायेगी।

16. ई-निविदा सह ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

(1) ई निविदा सह ई नीलामी दो चरणों में की जायेगी। प्रथम चरण में केवल ई निविदा विज्ञापन में निर्धारित तिथि एवं समय के अन्तर्गत डाली जायेगी। बिड/रायल्टी की दर प्रत्येक उपखनिज के लिये प्रति घनमीटर के लिये दी जायेगी जो सम्बन्धित उपखनिज के लिये नियमावली-2021 के अनुसूची-1 में उल्लिखित रायल्टी की दर से कम नहीं होगी। विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रवार प्राप्त ई निविदा को एक साथ न खोलकर पृथक पृथक खोला जायेगा। प्रत्येक क्षेत्र के प्रथम चरण की ई-निविदा खोलने के तत्काल 02 घण्टे बाद द्वितीय चरण की ई-नीलामी की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(2) प्रथम चरण की समाप्ति के उपरान्त निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

(क). यदि प्रथम चरण में एक ही बिड प्राप्त होती है और उक्त बिड (ऑफर) में प्रतिघन मीटर दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से 400 प्रतिशत से अधिक है तथा शेष शर्तें पूर्ण करता हो तो जिलाधिकारी द्वारा उस निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(ख). यदि प्रथम चरण में केवल एक ही बिड प्राप्त होता है और उक्त बिड (आफर) में प्रतिघन मीटर में दिया गया दर नियमावली-2021 के प्रथम अनुसूची में उस उपखनिज के लिये निर्धारित रायल्टी दर से अधिक परन्तु 400 प्रतिशत से कम है तो जिलाधिकारी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, खनिज की उपलब्धता, खनिज की गुणवत्ता, उपखनिज का बाजार मूल्य, उस क्षेत्र में से खनिज की मांग, क्षेत्र में अवैध खनन की सम्भावना, राजस्व की प्राप्ति आदि पर विचार करते हुये स्वविवेक से एकल निविदादाता के पक्ष में लेटर आफ इन्टेंट जारी करने अथवा न करने के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

(ग). यदि प्रथम चरण में एक से अधिक परन्तु पांच या पांच से कम बिड प्राप्त होता है तो सभी बिड कर्ता द्वितीय चरण की ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(घ). यदि पांच से अधिक बिड/आफर प्राप्त होते हैं तब केवल पांच सर्वाधिक निविदाकार ही द्वितीय चरण की ई नीलामी में भाग लेने हेतु अर्ह होंगे तथा द्वितीय चरण के अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा।

(3) उपरोक्त प्रस्तर-17(2)(ग),(घ) के अनुसार प्रथम चरण के योग्य बोलीदाता द्वितीय चरण की नीलामी में भाग ले सकते हैं।

(4) द्वितीय चरण में ई नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी। ई नीलामी की प्रक्रिया प्रथम चरण की अग्रसारित प्रक्रिया होगी, जिसमें प्रथम चरण में प्राप्त उच्चतम बिड/आफर द्वितीय चरण की ई नीलामी के लिये न्यूनतम बोली (Floor price) स्वतः निर्धारित हो जायेगी।

(5) ई-नीलामी की प्रक्रिया जो ई-निविदा खोलने के तत्काल दो घण्टे बाद प्रारम्भ होगी, में इच्छुक एवं अर्ह व्यक्ति/फर्म/कम्पनी बोली में कई बार भाग ले सकता है। नीलामी की आनलाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली आनलाईन ही दिया जा सकता है।

(6) निर्धारित समय के पश्चात बोली बन्द हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दिया जा सकता है। बोली के अन्तिम समय में यदि कोई और बोली प्राप्त होती है तो नीलामी की बोली का समय स्वतः 05 मिनट के लिये बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी तब तक 05 मिनट के अन्तराल में कोई और बोली प्राप्त नहीं होती है।

(7) ई निविदा सह ई नीलामी की कालयोजना एवं अवधि निम्नानुसार सम्पादित की जायेगी :-

प्री-बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	ई निविदा से पूर्व एम0एस0टी0सी0 में अपेक्षित प्री-बिड ई0एम0डी0 एवं आवेदन शुल्क, एम0एस0टी0सी0 की वेबसाईट पर वर्णित दिशा निर्देशों के अनुसार बोलीदाता द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रथम चरण में ई-निविदा	दिनांक 23.02.2026 पूर्वान्ह 10:00 बजे से 26.02.2026 साँय

(ई-टेण्डर) की अवधि	17:00 बजे तक
प्रथम चरण में प्राप्त ई-निविदा (बिड) का खोला जाना एवं उसका मूल्यांकन	कम संख्या-01, 02 व 03 पर अंकित विज्ञापित क्षेत्र हेतु दिनांक 27.02.2026 को समय कमशः 10:00 बजे से 12:00 बजे तक, 10:00 बजे से 12:00 बजे तक व 11:00 से 13:00 बजे तक
द्वितीय चरण की ई-नीलामी की अवधि	कम संख्या-01, 02 व 03 पर अंकित विज्ञापित क्षेत्र हेतु दिनांक 27.02.2026 को समय कमशः 14:00 बजे से 16:00 बजे तक, 14:00 बजे से 16:00 बजे तक व 15:00 बजे से 17:00 बजे तक

(8) परिणाम की घोषणा एवं उसका प्रदर्शन :-

क. प्रथम चरण की निविदा प्रक्रिया का परिणाम निविदाकार (Tenderer) के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। प्रथम चरण के ई-निविदा प्रक्रिया के समापन के पश्चात अधिकतम निविदा धनराशि (बिडिंग एमाउन्ट) प्रदर्शित की जायेगी। सभी निविदाकार द्वितीय चरण की बोली हेतु वे योग्य है अथवा नहीं को भी लॉगिन कर जान सकते हैं।

ख. एकल निविदा के मामलों को छोड़कर शेष मामलों में द्वितीय चरण की नीलामी समाप्त होने के उपरान्त प्राप्त अधिकतम बोली उसके बोलीदाता का विवरण एम0एस0टी0सी0 के निर्धारित पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

17. पट्टे का दिया जाना :- नियमावली के नियम-28 के प्रावधानों के अनुसार ई-निविदा सह ई-नीलामी के मामले में उस बोली या प्रस्ताव को उपरोक्त प्रस्तर-17(2) में दिये गये प्रक्रिया के अनुसार जिलाधिकारी स्वीकार करेंगे जो उच्चतम हो। जिलाधिकारी द्वारा सफल एवं नियमानुसार अर्ह बोलीदाता/निविदादाता को उनके द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख के सत्यापन के एक सप्ताह के अन्दर लेटर आफ इन्टेंट निर्गत किया जायेगा।

18. ई-नीलामी समाप्त होने के पश्चात 03 कार्य दिवस के अन्दर सफल बोलीदाता को अपने मूल अभिलेख का सत्यापन उस जनपद के जिलाधिकारी, जहां क्षेत्र में स्थित है, के द्वारा अथवा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय के द्वारा कराना होगा। निदेशक द्वारा मूल अभिलेख के सत्यापन की स्थिति में अभिलेख-सत्यापन की आख्या ई-मेल के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी। अभिलेख-सत्यापन के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा लेटर आफ इन्टेंट जारी किया जायेगा। सत्यापन में यदि कोई अभिलेख अथवा प्रमाण पत्र कूटरचित, असत्य अथवा गलत पाया जाता है तो लेटर आफ इन्टेंट जारी नहीं किया जायेगा तथा बयाने की धनराशि (अर्नेस्ट मनी) जब्त कर ली जायेगी।

19. आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) में निम्न विवरण होंगे :-

1. प्रथम वर्ष के लिये देय नीलामी धनराशि की गणना पट्टा क्षेत्र के लिये विज्ञापित में आकलित मात्रा घनमीटर को निविदा/नीलामी की दर रूपया प्रति घन मीटर से गुणा कर निकाली जायेगी। खनन पट्टा के अनुवर्ती वर्षों में प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की नीलामी की देय धनराशि पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

2. सफल बोलीदाता/निविदादाता, पट्टे की निर्बन्धनों और शर्तों का यथोचित पालन करने के लिये प्रतिभूति के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत और स्वामित्व की पहली किस्त के रूप में प्रथम वर्ष के लिये बोली/निविदा की सकल धनराशि का 20 प्रतिशत दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करेगा। बयाने की जमा धनराशि (अर्नेस्ट मनी) प्रथम किस्त में समायोजित कर ली जायेगी।

3. पट्टे के प्रथम वर्ष की शेष किश्ते एवं अनुवर्ती वर्षों में बोली/निविदा के आधार पर प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित सकल धनराशि पर प्रत्येक वर्ष विगत वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार जमा की जायेगी। पूर्व के परिहारधारकों द्वारा पंचम अनुसूची की प्रक्रिया के अर्न्तगत धनराशि जमा करने के लिए प्रस्तुत अनुरोध पर जिलाधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

4. पट्टाधारक नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र का सीमांकन करायेगा (जिसमें सीमा बिन्दुओं का जियो-कोऑर्डिनेट्स भी इंगित किया जायेगा) तथा नियम-36 के अनुसार सीमा-स्तम्भ लगायेगा एवं इसका अनुरक्षण करेगा।
5. चयनित आवेदक नियम-35 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के अन्दर खनन योजना, माइन्स क्लोजर प्लान एवं भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 तथा तथा समय-समय पर यथा संशोधित उपबन्धों के अधीन पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त कर उसे प्रस्तुत करेगा।
6. प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा नियम-35 के अनुसार क्षेत्र के भूमि-उद्धार और पुर्नवासन उपाय हेतु वित्तीय आश्वासन की धनराशि निर्धारित रीति से जमा करेगा।
7. लेटर आफ इन्टेंट जारी होने के एक माह के अन्दर अनुमोदन हेतु देय प्रतिभूति एवं प्रथम किस्त की धनराशि के जमा होने के प्रमाण सहित खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। अनुमोदित खनन योजना प्राप्त होने के एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकरण के समक्ष पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा नियम 60(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तावक पर रुपये 10,000.00 प्रति दिन की शास्ति आरोपित की जायेगी।
8. पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन कराकर खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ की जानी होगी।
9. नियम-35(4) के अन्तर्गत पर्यावरण की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान अपेक्षित समयावधि में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का परियोजना प्रस्तावक द्वारा समाधान करना अनिवार्य होगा। नियम-35(4) के उल्लंघन की दशा में जिला मजिस्ट्रेट नियम 60(7) के अन्तर्गत जारी लेटर आफ इन्टेंट निरस्त किया जा सकता है।
10. नियम-35(5) के अन्तर्गत पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करना अनिवार्य होगा। नियम 35(5) के उल्लंघन की दशा में प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किस्त एवं प्रतिभूति धनराशि समपूहृत करते हुए जारी लेटर आफ इन्टेंट निरस्त किया जायेगा।

20. सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा धनराशि जमा करने की रीति :-

1. स्वीकृत पट्टे की अवधि 05 वर्ष होगी, परन्तु बोली/निविदा की धनराशि प्रथम वर्ष के लिये मानी जायेगी। प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में पिछले वर्ष से 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ-साथ आगामी वर्ष में पट्टा धनराशि देय होगी। प्रथम वर्ष एवं अनुवर्ती वर्षों के लिए पट्टा-धनराशि-नियमावली-2021 के पंचम अनुसूची के अनुसार पट्टाधाकर द्वारा जमा की जायेगी।
2. आशय पत्र (लेटर आफ इन्टेंट) प्राप्त होने के उपरान्त सफल बोलीदाता/निविदादाता द्वारा 25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा एवं 20 प्रतिशत प्रथम किस्त अर्थात् पट्टे के प्रथम वर्ष के लिये निर्धारित पट्टा धनराशि का 45 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि (जिसमें प्री बिड अर्नेस्ट मनी समायोजित हो) सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में लेटर ऑफ इन्टेंट जारी होने के 02 कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। प्री बिड अर्नेस्ट मनी की धनराशि एम0एस0टी0सी0लि0 द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से/ऑनलाइन हस्तान्तरित की जायेगी। यदि सफल बोलीदाता/निविदादाता उक्त धनराशि जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा।
3. प्रथम वर्ष के लिये शेष 80 प्रतिशत पट्टा धनराशि एवं आगामी वर्षों के लिये पट्टा धनराशि नियमावली में निर्धारित पंचम अनुसूची के अनुसार राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार

पट्टाधारक द्वारा जमा की जायेगी। उक्त अनुसूची में नियत तिथि के अनुसार देय धनराशि जमा न करने की दशा में नियम-59 के अनुसार देय धनराशि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

4. पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

21. शर्त :-

1. ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो ले। ई निविदा सह ई नीलामी में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
2. पट्टाधारक पट्टे के अधीन दिये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र का कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख से संलग्न नक्शे में दर्शाये गये सीमांकन को इंगित करने के लिये आवश्यक होगा।
3. पट्टा अभिलेख के निष्पादन के दिनांक पट्टाधारक तत्काल खनन संक्रियाये प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
4. पट्टाधारक नियम-35 के अनुसार वाहनों के प्रवेश व निकासी पर निगरानी के लिये स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे सम्बन्धित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखने की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयी समस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-67 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
5. पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2021 के नियम-60 के अर्न्तगत शास्ति का भागीदार होगा।
6. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 05.09.2018 के अनुपालन में पट्टा धारक द्वारा खदान के निवासी स्थल पर तौल मशीन लगवाकर निदेशालय में स्थापित कमाण्ड सेन्टर में प्रयुक्त आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स युक्त साफ्टवेयर में इप्टीग्रेट किया जायेगा। इन्टीग्रेट्स में स्थित तौल मशीन में निम्न Features का होना आवश्यक है:-
 - 1-The weigh bridge device should use the MQTT protocol to transmit data.
 - 2-the weigh bridge device should transmit data over the internsmmit data over the internet to LOT infrastructure in cloud.
7. पट्टेधारक 03 मीटर की गहराई अथवा जलस्तर में से जो कम हो, से अधिक गहराई में खनन संक्रियाये नहीं करेगा।
8. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नहीं किया जायेगा।

9. नदी की जल धारा में सक्शन मशीन, लिफ्टर आदि मशीनों द्वारा खनन कार्य नहीं किया जायेगा।
10. स्वीकृत क्षेत्र के अन्दर जहां परिवहन प्रपत्र निर्गत किया जायेगा, वहां पर खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
11. यदि पट्टाधारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पट्टेदार को अपना मामला बताने की युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा पट्टा समाप्त किया जा सकता है।
12. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग की जायेगी।
13. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन पट्टाधारक द्वारा किया जायेगा।
14. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह पट्टाधारकों को मान्य होगा।
15. पट्टाधारक द्वारा पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त अनुमति प्राप्त कर खनन कार्य आरम्भ किया जायेगा।
16. मा० उच्च न्यायालय, मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पालन किया जायेगा।


 (प्रियंका निरंजन)
 जिलाधिकारी,
 गोण्डा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, अयोध्या।
5. शाखा प्रबन्धक, एम०एस०टी०सी० लि०, जी०-25/26 तेज प्लाजा 1 टी०एन० सिंह रोड हजरतगंज।
6. निदेशक, सूचना उ०प्र० लखनऊ।
7. जिला सूचना अधिकारी, गोण्डा।


 जिलाधिकारी,
 गोण्डा।